

REGIONAL OFFICE **RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD** SPL-2, 5th Phase, RIICO Ind. Area, Kishangarh Dist. Ajmer Email : rorpcb.kishangarh@gmail.com

RPCB/RO KSG/PUB-238/ 3673

Date: 03.02.2023

Sh. Naveen Choudhary S/o Sh. Lalchand Choudhary, R/o Ramnagar Colony, Jaisalmer, Rajasthan,

- Sub.:- Public hearing for Environmental Clearance for Kachariya Granite Mine Cluster no. 05 Mining Project, Total Cluster area 5.8322 Hectares, Total cluster production capacity 599642 TPA (ROM), Village Kachariya, Tehsil Kishangarh, District Ajmer applied by Sh. Naveen Choudhary S/o Sh. Lalchand Choudhary M.L. No. 60/2021.
- Ref.:- Office of District Collector& District Magistrate, Ajmer letter no. 1512 dated 02/02/2023.

Sir.

In reference to above please find enclosed a public notice to be published in one major National Daily news paper and one Regional vernacular Daily/official state language news paper in any case on or before 15/02/2023. The news paper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at Rajeev Gandhi Seva Kendra, Silora, Tehsil Kishangarh, District Ajmer at 11:00 AM on 17/03/2023 for the environmental clearance of your project.

You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice.

Yours sincerely,

sel

(Deepak Tanwar) Environmental Engineer &Regional Officer

Copy to following for information & necessary action:-

- 1. The Member Secretary (SEAC), Rajasthan State Pollution Control Board, 4, Instituional Area, Jhalana Doongri, Jaipur.
- 2. The Additional District Collector & District Magistrate (II), Collectorate Office, Ajmer in compliance to letter no.1512 dated 02/02/2023.
- Analyst Cum Programmer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jhalana Doongari, Jaipur to display public notice on website of the State Board.





क्षेत्रीय कार्यालय



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल–2,पंचम चरण,रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम / क्षैका किश / पीयूबी–238 /

दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आमसूचना

 सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री नवीन चौधरी पुत्र श्री लालचन्द चौधरी खनन पटटा संख्या 60/2021 ग्राम काचरिया द्वारा काचरिया ग्रेनाईट खनिज क्लस्टर संख्या 05 खनन परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:--

क. पोजेक्ट का नाम जिन्हा प्राप्त के जान							
		प्रोजेक्ट का नाम	खनन पटट्ा	क्षेत्रफल	ग्राम	खनिज का नाम	उत्पादन क्षमता
	स.	0	संख्या	हैक्टेयर में			टीपीए (आर.ओ.एम.)
	1	श्री नवीन चौधरी पुत्र श्री लालचन्द चौधरी, खसरा	60/2021	1.1106	काचरिया	ग्रेनाईट	99170
		संख्या ३८१ / ९५ एवं ३८३ / ९६					
	2	श्री मोहनश्याम	13/2021	1.6186	काचरिया	ग्रेनाईट	157080
	3	मैसर्स बयाना सेन्डस्टोन प्राइवेट लिमिटेड	08/2021	3.1030	काचरिया	ग्रेनाईट	343392
_							

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 5.8322 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता—599642 टीपीए (आर.ओ.एम.), ग्राम काचरिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहॉ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

- 2. और चूंकि श्री नवीन चौधरी पुत्र श्री लालचन्द चौधरी खनन पटटा संख्या 60/2021 ग्राम काचरिया ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।
- उक्त समूह खनन परियोजनासे सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:--
 - 1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,अजमेर।
 - 2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
 - 3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
 - क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर।
 - 5. तहसील–किशनगढ़, जिला–अजमेर।
 - 6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, सिलोरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/सामान्य/2023/1512 दिनांक 02.02.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 17/03/2023 को प्रातः11:00 बजे, स्थान–राजीव गांधी सेवा केन्द्र, सिलोरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ, जिला–अजमेर को भी दिये जा सकते है।

> (दीपक तॅंवर) पर्यावरणीय अभियंता एवं क्षेत्रीय अधिकारी